

विषय:- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा, 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ के सत्यापन संबंध में।

उक्त परीक्षा की सूचना के प्रावधानों के अनुसार, इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) 20.3.2023 से 23.03.2023 तक (राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-01) में किया जाना है।

2. अब आपको राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -01 में आपके रैंक संख्या के अनुसार नीचे दी गई तारीख और समय पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है: -

तारीख	श्रेणी	बैच	उपस्थिति समय	कमरा संख्या
20.03.2023	एसएल / 0017 से एसएल / 63	बी-1	प्रातः 10.00 बजे	सम्मलेन कक्ष प्रथम तल
	एसएल/0070 से एसएल/0100	बी-2	अपराह्न 02.30 बजे	
21.03.2023	एसएल/102 से एसएल/0144	बी-1	प्रातः 10.00 बजे	
	एसएल/0146 से एसएल/0181	बी-2	अपराह्न 02.30 बजे	
22.03.2023	एसएल/0183 से एसएल/0279	बी-1	प्रातः 10.00 बजे	
	एसएल/0305 से एसएल/0444	बी-2	अपराह्न 02.30 बजे	

3. कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज़ सत्यापन के समय आप यह पत्र अपने साथ लाएं। इस पत्र के साथ आपके पास नवीनतम फोटोयुक्त कम से कम दो पहचान पत्र अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयकर पैन कार्ड, और सरकारी विभागों/संगठनों/विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी कोई भी अन्य पहचान पत्र मूल रूप में होना चाहिए। इसके साथ-साथ उसकी स्व-सत्यापित प्रति भी होनी चाहिए। कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र चालू सत्र का होना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन में उपयोग के लिए हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के (02)दो फोटो भी लाने हैं।

4. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए केवल संबंधित अभ्यर्थी को ही भवन में प्रवेश की अनुमति होगी।

5. आप उस दिन सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ (मूल रूप में) प्रस्तुत करने के लिए उनकी स्व- सत्यापित फोटोकॉपी भी निम्नलिखित क्रम में लाएं :

- मैट्रिक प्रमाण पत्र और जन्म तिथि के लिए मार्कशीट (प्रमाण पत्र में दी गई जन्मतिथि को ही वैध माना जाएगा)
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का / प्रमाण पत्र और मार्कशीट।
- सक्षम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट और स्नातक प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस में दिए गए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/ एससी/एसटी / ईडब्ल्यूएस)। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय पर आधारित होना चाहिए और वर्ष

2021-22 के लिए इसे रखा जाना चाहिए। यह प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए नोटिस के अनुबंध-XII के अनुसार सुनिश्चित होना चाहिए।

- v. दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) की श्रेणी के संबंध में नोटिस में दिए गए प्रारूप में प्रमाण पत्र ।
 - vi. पूर्व सैनिक के रूप में आपके दावे के समर्थन में नोटिस में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जैसे कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, आदि।
 - vii. केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी के रूप में आयु में छूट के लिए नोटिस में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
 - viii. दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए उपस्थित होने के दौरान "अभ्यर्थी विवरण फॉर्म" विधिवत भरा और स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
6. दस्तावेज सत्यापन के दौरान ब्लैक बॉल पॉइंट पेन / जेल पेन का उपयोग नहीं करना है।
 7. कृपया ध्यान दें कि जिन अभ्यर्थियों के पास इस पत्र के पैरा 3 में उल्लिखित वैध फोटो आईडी और अन्य प्रमाण नहीं होंगे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 8. दस्तावेज सत्यापन के बाद, आपको सत्यापन स्थिति के बारे में आपकी ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
 9. दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी भी यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 10. संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए दूरभाष सं. 011- 23438125 पर संपर्क कर सकते हैं।



(राजेश कुमार)

सहायक निदेशक (सेवा)

दूरभाष सं. 23438078

नोट:- अभ्यर्थियों को भी उनके ईमेल पर दस्तावेज सत्यापन की सूचना दे दी गई है।

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

अभ्यर्थी विवरण फार्म

नाम	
रोल नम्बर	

(केवल अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

1.	जन्म तिथि (10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार)		
2.	परिणाम की घोषणा की तिथि (क- 10वीं ख- 12वीं ग-ग्रेजुएट और घ-पोस्ट ग्रेजुएट)	क) ग)	ख) घ)
3.	ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि		
4.	भूतपूर्व सैनिक के कार्यभार मुक्ति की तिथि		
5.	दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि		
6.	वर्तमान में कहीं कार्यरत है या नहीं यदि कार्यरत हैं, तो उसका ब्यौरा दें।		
		अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	

(केवल कार्यालय हेतु)

7.	स्थिति	ठीक है/ रोका गया/ अनंतिम/स्वीकृत
8.	टिप्पणी, यदि कोई हो	
		दस्तावेज जांचकर्ता के हस्ताक्षर